नाबार्ड
न्यूज़लेटर
खण्ड -21 अगस्त 2010 संख्या -5

कृषक क्लबों के माध्यम से प्रौद्योगिकी अंतरण, ऋण परामर्श और बाजार समर्थन पर प्रायोगिक परियोजना

भारतीय कृषि क्षेत्र के वर्तमान परिदृश्य में छोटे और सीमांत किसानों की बड़ी संख्या, प्रौद्योगिकी अंगीकरण का निम्न स्तर, विखंडित आपूर्ति शृंखला, बाजार लिंकेज की खराब स्थिति, घटती जा रही मार्जिन, सूखे क्षेत्रों में अव्यवहार्य विकल्प, ऋण संबंधी समस्याएं और प्रभावी विस्तारित प्रणाली का अभाव प्रमुख विशेषताएं हैं. कृषि क्षेत्र की स्थिति में सुधार लाने हेतु तथा ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र में 4 % अनुमानित विकास प्राप्त करने के लिए की जानेवाली नीतिगत पहलकदमियों में कृषकों के लिए राष्ट्रीय नीति 2007 में सुनिश्चित 'सदाबहार हरित क्रांति' और 'ज्ञान के अंतर को भरना' को शामिल किया गया है.

2. हमारे अध्यक्ष महोदय का मानना है कि नाबार्ड अपने कृषक क्लबों के माध्यम से पारस्परिक आदान-प्रदान सुदृढ़ कर कृषि परिवारों के आय स्तर में सुधार, उन्नत प्रौद्योगिकी तक पहुँच हेतु प्रयासों के एकीकरण, समय पर ऋण और मजबूत बाजार लिंकेज द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है. इस दिशा में यह निर्णय लिया गया है कि कृषक क्लबों के माध्यम से प्रौद्योगिकी अंतरण, ऋण परामर्श और बाजार समर्थन पर प्रायोगिक परियोजना शुरू की जाए. इस योजना का उद्देश्य प्रौद्योगिकी, ऋण और विपणन पर बल देते हुए किसानों के बीच प्रमुख फसलों/कार्यों के बारे में जागरुकता के निर्माण को सुलभ करना है ताकि भारतीय कृषि में उभरते हुए कृषि व्यवसाय अवसरों का लाभ उठाने के लिए उचित वातावरण तैयार किया जा सके. अधिक से अधिक किसानों तक पहुँच बनाने के लिए संसाधन संस्थाओं से मिल कर मास्टर फार्मर्स का विकास करने की कार्यनीति अपनाई जाए ताकि कृषक क्लबों के सदस्यों और गाँव के अन्य किसानों के बीच निरंतर आधार पर अधिक से अधिक जानकारी का प्रसार किया जा सके.

3. 2010-12 के दौरान इस प्रायोगिक परियोजना के अंतर्गत प्रौद्योगिकी, ऋण और विपणन हेतु मिनी एक्सटेंशन वर्कर के रूप में कार्य करने के लिए प्रति कृषक क्लब एक पूर्ण मास्टर फार्मर तैयार करने हेतु प्रत्येक राज्य के दो जिलों के सभी सक्रिय और अच्छे कृषक क्लबों को शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है.

(संदर्भ सं. राबैं. डीपीडी.एफएस.2141- 2170 / (एफटीटीएफ-एफसी मास्टर फार्मर) /2010-11 दिनांक 2 अगस्त 2010 परिपत्र सं. 144/ डीपीडी.एफएस. - 05 / 2010)

ऋण वित्तीय सीमा (एक्सपोजर)मानदण्ड - वर्ष 2010-11 के लिये सीमाओं का निर्धारण

हम सूचित करते हैं कि वर्ष 2010-11 के लिये संशोधित मानदण्डों के अंतर्गत पुनर्वित्त और सह वित्तपोषण की ऋण वित्तीय सीमायें निम्नानुसार होंगी -

ऋण का प्रकार	**31 मार्च 2010 को पूँजीगत निधियों के लिये समग्र रूप में उच्चतम सीमा प्रतिशत के रुप में (रु.12463.71 करोड़)**	**परिशुद्ध सीमा**
पुनर्वित्त - संस्थान/ वैयक्तिक ग्राहक	50%	रु.6231.855 करोड़
सह-वित्तपोषण - वैयक्तिक प्रोजेक्ट	5%	रु.623.185 करोड़

2. चूँकि राज्य सरकारों का स्वरूप अर्ध प्रभुसत्ता सम्पन्न प्रकार का होता है, अत: उन्हें ऋण वित्तीय सीमा मानदण्डों के दायरे से अलग रखा गया है. पंचायत राज संस्था अथवा स्वयंसहायता समूहों अथवा गैर सरकारी संगठनों जैसी किसी भी संस्था को यदि ग्रामीण आधारभूत सुविधा विकास निधि (RIDF) से ऋण मंजूर किया गया है और चाहे वह ऋण राज्य सरकार की गारंटी के समक्ष दिया गया है तो भी वह ऋण वित्तीय सीमा पुनर्वित्त संस्थाओं को सीधे ऋण परिचालनों के लिये भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित ऋण वित्तीय सीमा मानदण्डों के अधीन होंगें.

3. अल्पावधि ऋणों के मामले में ऋण वित्तीय सीमा का स्तर मंजूर की गई सीमा / सीमाओं अथवा बकाया राशि जो भी अधिक हो, के आधार पर निकाला जायेगा. निवेश ऋण के मामले में, इसकी गणना (ऋण देने का स्तर) वास्तविक बकाया राशि और अवितरित अथवा अनाहरित वायदों, यदि कोई हों, के आधार पर की जायेगी .

4. अत: क्षेत्रीय कार्यालयों को सूचित किया जाता है कि वे पुनर्वित्त एवं सहवित्त के अंतर्गत ऋण वित्तीय सीमाओं का अनुप्रवर्तन करें और सुनिश्चित करें कि वह निर्धारित सीमाओं के अंतर्गत हैं.

(संदर्भ सं.राबैं / निऋवि / 1159 / पीपीएस-85 / 2010-11 दिनांक 02 अगस्त 2010
परिपत्र सं. 145 / निऋवि - 31 / 2010)

वर्ष 2010-11 के लिए सहकारी ऋण संस्थाओं की अंश पूँजी में अंशदान के लिए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम, 1981 की धारा 27 के अंतर्गत राज्य सरकारों को मीयादी ऋणों की मंजूरी- क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए परिचालनात्मक मार्गनिर्देश
मंजूरी के प्रावधानों को शासित करने वाली समीक्षित शर्तें तथा निबंधन निम्नानुसार हैं:

1. सहायता की परिचालन अवधि 01 अप्रैल 2010 से 31 मार्च 2011 होगी और वर्ष 2010-11 के दौरान अंश पूँजी अंशदान के लिए राज्य सरकार द्वारा किए गए संवितरण इसमें शामिल होंगे.

2. यह आशा की जाती है कि ऋण की मंजूरी और उसका उपयोग परिचालन अवधि के भीतर ही पूरा कर लिया जायेगा.तथापि,यदि कुछ व्यवहार्य कठिनाइयों की वजह से मंजूरी और संवितरण की प्रक्रिया

पूरी करने के लिये आगे अधिकतम एक तिमाही (अर्थात् 30 जून 2011 तक)की अवधि की अनुमति दी जायेगी.

3. राज्य सरकार को प्रतिपूर्ति सहायता माँगते समय एक विवरण भी प्रस्तुत करना होगा जिसमें सहकारी ऋण संस्थाओं की अंश पूँजी में उनके द्वारा किए गए अंशदान के ब्यौरे दिये जायेंगे.

(संदर्भ सं राबैं.उऋवि (नीति) / 852 / ए.101 / 2010-11दिनांक 17 अगस्त 2010 परिपत्र सं. 163 /उऋवि- 14 / 2010)

पुनर्वित्त पर ब्याज दर में संशोधन
सभी पात्र प्रयोजनों हेतु निवेश ऋणों की ब्याज की संशोधित दर निम्नानुसार है:

वाणिज्य बैंक - 8.25% प्रति वर्ष
पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों (असम, अरूणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिज़ोरम, नागालैंड, त्रिपुरा) तथा सिक्किम के लिए सभी पात्र प्रयोजनों के लिए 7.75%.
सूक्ष्म वित्त संस्थाओं को ग्राहकों को आगे ऋण प्रदान करने के लिए न्यूनतम 7.75% की शर्त के अधीन बैंक द्वारा प्रभारित दर से 3% कम होगी.

राज्य सहकारी कृषि ग्रामिण विकास बैंक/ राज्य सहकारी बैंक/ अनुसूचित पीयूसीबी/ एनईडीएफआई- 7.75% प्रति वर्ष
संशोधित दरें सभी क्षेत्रों पर लागू होंगी

क्षेत्रीय ग्रीमण बैंक - 7.75% प्रति वर्ष
सभी क्षेत्रों के लिए संशोधित दरे लागू हैं. सूक्ष्म वित्त संस्थाओं को सभी क्षेत्रों तथा सभी पात्र प्रयोजनों के अंतर्गत ग्राहकों को आगे ऋण प्रदान करने के लिए पुनर्वित्त पर ब्याज की दर न्यूनतम 7.75% की शर्त के अधीन बैंक द्वारा प्रभारित दर से 3% कम होगी.

एडीएफएसी - 6.75% प्रति वर्ष
9 अगस्त 2010 को या उसके बाद वित्तीय पुनर्वित्त पर संशोधित ब्याज दर लागू होगी और नाबार्ड के पास लंबित सभी आवेदनों पर लागू होगी.

(संदर्भ सं.एनबी.आईसीडी/1214 से 1218/पीपीएस-165/2010-11 दिनांक 06 अगस्त 2010 परिपत्र सं.149 से 153/ आईसीडी-32 से 36/2010)

वित्तीय समावेशन - 2000 से अधिक जनसंख्या वाले प्रत्येक गाँव में बैंकिंग आउटलेट के माध्यम से मार्च 2012 तक बैंकिंग सेवाएँ प्रदान करने के लिए रूपरेखा

भारत सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक वित्तीय समावेशन को काफी महत्व देते हैं और इससे संबंधित लक्ष्य प्राप्त करने के लिए रूपरेखा तैयार करना अति आवश्यक है. इस बात को ध्यान में रखते हुए यह जरूरी है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक बिना विलंब के हमारे दिनांक 25.03.2010 के परिपत्र के आधार पर रूपरेखा तैयार करें. रूपरेखा में सामान्य रूप से निम्नलिखित गतिविधियाँ शामिल की जाएँ :

- बीसी आउटलेटों सहित बैंकिंग आउटलेट खोलना
- सभी पात्र उधारकर्ताओं को किसान क्रेडिट कार्ड / जीसीसी / स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड जारी करना
- बिजनेस कॉरस्पाँडेंटों / बिजनेस फैसिलिटेटरों की पहचान और पदस्थापना
- वित्तीय साक्षरता के लिए योजनाएँ
- आईसीटी आधारित बीसी मॉडल के माध्यम से वित्तीय समावेशन के लिए प्रायोगिक योजनाएँ
- बिजनेस फैसिलिटेटरों के माध्यम से वित्तीय समावेशन के लिए प्रायोगिक योजनाएँ

(अशा.पत्र सं.एनबी.एफआईडी / 724 / एफआई-01 / 2010-11 दिनांक 09 अगस्त 2010 परिपत्र सं.155 / एफआईडी - 14 / 2010)

टैक्स आडिटर के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लेखापरीक्षकों को भुगतान योग्य फीस

यह निर्णय लिया गया कि संबंधित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की ऑडिट समिति द्वारा टैक्स ऑडिट हेतु ऑडिटरों को दिए जाने वाले शुल्क का निर्धारण बैंकिंग इंडस्ट्री मे प्रचलित दरों के आधार पर किया जाएगा और उसे बैंक के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया जाएगा. ऑडिटरों को दिया जाने वाला शुल्क किफायती और आवश्यकता आधारित होना चाहिए.

(संदर्भ सं.राबै.आईडीडी.आरआरसीबीडी.बीएमबीएल/ 813 /323(सी)/2010-11 दिनांक 09 अगस्त 2010 परिपत्र सं.154 / आईडीडी - 08 /2010)

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में लेखापरीक्षा समिति - नाबार्ड समिति

- क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से अनुरोध प्राप्त हो रहे हैं कि उन्हें नाबार्ड के नामिती निदेशक को लेखापरीक्षा समिति के सदस्य के रूप में शामिल करने की अनुमति दी जाए ताकि उन्हें आंतरिक जाँच नियंत्रण प्रणाली, लेखापरीक्षा प्रणाली की समीक्षा, उसकी गुणवत्ता और प्रभावशीलता, नाबार्ड की निरीक्षण रिपोर्ट पर अनुपालन की गुणवत्ता में सुधार, आस्ति और देयता प्रबंधन, जोखिम प्रबंधन प्रणाली के कार्यान्वयन पर सूचना इत्यादि से संबंधित मामलों पर समिति की उनकी सुविज्ञ (विशेषज्ञ) सलाह प्राप्त हो सके.

- यह निर्णय लिया गया कि लेखापरीक्षा समिति में हमारे नामिती निदेशक को शामिल करने के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को अनुमति दी जाये. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक यदि उन्हें अपनी लेखापरीक्षा समिति में शामिल करना चाहते हैं तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का निदेशक मंडल लेखापरीक्षा समिति को पुनर्गठित करने के संबंध में समुचित निर्णय ले.

- लेखापरीक्षा समिति की बैठकों में कोरम कम होने की वजह से उत्पन्न समस्या के निवारण के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सामान्य परिस्थितियों में इन बैठकों को अपने निदेशक मंडल की बैठकों से पहले अथवा बाद में निर्धारित कर सकते हैं.

(सं.सं.राबैं.पर्यवेक्षण विभाग/प्रका/नीति/1775/जे.1/2010-11 दिनांक 10 अगस्त, 2010 परिपत्र सं. 156 /पर्यवेक्षण विभाग - 18 /2010)

'मृत पशु शवों का उपयोग' के लिए केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना

भारत सरकार ने केन्द्र द्वारा प्रायोजित 'मृत पशु शवों का उपयोग' योजना शुरू करने का निर्णय लिया है. इस योजना के लिए 11वीं पंचवर्षीय योजना (2010-11 और 2011-12) की शेष अवधि के लिए रु.75.00 करोड़ का परिव्यय निर्धारित किया गया है. योजना का उद्देश्य मृत पशुओं से प्राप्त चमड़े और खालों की गुणवत्ता में सुधार करना तथा अन्य सह-उत्पादों को मूल्यवर्धित मदों में बदलना है. योजना का उद्देश्य वातावरण में प्रदूषण को कम करना तथा वायुयानो को बर्ड-हिट जैसी दुर्घटनाओं से बचाना भी है. योजना के निम्नलिखित 04 घटक हैं :

(i) करकास उपयोग केन्द्र की स्थापना (सीयूसी) : इस घटक के तहत करकास उपयोग केन्द्रों के निम्नलिखित दो मॉडलों की स्थापना के लिए परिव्यय का 90% पूँजी सब्सिडी के रूप में उपलब्ध कराया जाएगा. शेष 10% ऋणकर्ता का अंशदान होगा.

- मॉडल-I : प्रति दिन 5 से 6 पशु शवों के प्रसंस्करण हेतु सीयूसी की स्थापना के लिए रु.145.00 लाख की निदर्शी इकाई लागत का प्रावधान किया गया है.
- मॉडल II : प्रति दिन 20 से 25 पशु शवों के प्रसंस्करण हेतु सीयूसी की स्थापना के लिए रु.280.00 लाख की निदर्शी इकाई लागत का प्रावधान किया गया है.

(ii) हड्डी क्रशिंग इकाइयों की स्थापना : इस घटक के तहत इकाई की स्थापना के लिए परिव्यय का 50% बैक-एंडेड पूँजी सब्सिडी के रूप में उपलब्ध कराया जाएगा. प्रति इकाई रु.15.00 लाख के निदर्शी परिव्यय के आधार पर ऋण मंजूर किया जा सकता है. कुछ स्थानों पर पशु का पूरा शव प्राप्त करना एक समस्या हो सकती है.

(iii) वर्तमान करकास उपयोग केन्द्रों की मरम्मत/ आधुनिकीकरण : इस घटक के तहत वर्तमान करकास उपयोग केन्द्रों की मरम्मत/ आधुनिकीकरण के लिए कुल परिव्यय का 90% पूँजी सब्सिडी

के रूप में उपलब्ध कराया जाएगा. इस गतिविधि के लिए रु.160.00 लाख की निदर्शी इकाई लागत निर्धारित की गई है. इसके तहत बैंक ऋण शामिल नहीं है क्योंकि परियोजना लागत घटक का 90% सब्सिडी के रूप में उपलब्ध कराया जा रहा है.

3. इस योजना के कार्यान्वयन के लिए पशुपालन, डेरी एवं मत्स्यपालन विभाग, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार नोडल विभाग है. हड्डी क्रशिंग इकाइयों की स्थापना के संबंध में जहाँ पर बैंक ऋण घटक शामिल है, वहाँ नाबार्ड पात्र वित्तपोषक संस्थाओं को योजना के अंतर्गत सावधि ऋण के लिए पुनर्वित्त सहायता देने के साथ-साथ पूँजी सब्सिडी जारी करने का कार्य करेगा.

(संदर्भ सं.राबैं.आईसीडी.जीएसएस/ 1322 /यूएफए-1/2010-11 दिनांक 25 अगस्त 2010 परिपत्र सं. 167 /आईसीडी- 38 /2010)

सम्पादकीय बोर्ड-एस के मित्रा, अमरेश कुमार, पी एल बेहरा, डॉ. प्रकाश बक्शी और वी रामकृष्ण राव

---

*राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, बान्द्रा-कुर्ला काम्पलैक्स, मुंबई - 400 051 के लिए **बी. जयरामन** द्वारा सम्पादित और प्रकाशित.*